इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2018—माघ 27, शक 1939

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 4-3-2018-छब्बीस-2 भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018

नशामुक्त ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना नियम 2018

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश को नशामुक्त बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिये, प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत को जहां निवासरत् युवा, वृद्ध, तथा महिलाएं नशामुक्त जीवनयापन कर रहे हैं । नशामुक्त ऐसी ग्राम पंचायत को नशामुक्ति के लिये उत्कृष्ट कार्य करने हेतु "नशामुक्त ग्राम पंचायत पुरस्कार प्रति वर्ष देने के लिये निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भः-

1. ये नियम जिला स्तरीय "नशामुक्त ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना" नियम 2018 कहलायेगें ।

2. इसका विस्तार जिला एवं सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में रहेगा ।
3. ये नियम ऐसी तारीख को प्रभावशील होंगे, जिसे राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा नियम करें ।
4. जिले की एक ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष नशामुक्त ग्राम पंचायत होने पर जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जावेगा ।

2. परिभाषाऍः–

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–

1. ''शासन '' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से हैं ।
2. ''कलेक्टर'' से आशय मध्यप्रदेश के यथा उल्लेखित जिले के कलेक्टर से हैं।
3. ''समिति'' से अभिप्रेत योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत का चयन करने हेतु जिले की गठित समिति से हैं।
4. ''ग्राम पंचायत'' का अभिप्राय म०प्र०पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अधीन इस राज्य के लिये परिभाषित से हैं।
5. ''नशामुक्ति'' से आश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद–47 में उल्लेखित प्रावधान से हैं।
6. ''शक्ति'' से अभिप्रेत आबकारी अधिनियम की धारा 61 ड–मादक द्रव्यों के विनिर्माण, विक्रय नियमित करने तथा प्रतिषेध करने की ग्राम पंचायत की शक्ति।

3. योजना का स्वरूपः–

1. नगद पुरस्कार रूपये एक लाख (प्रति जिला प्रति पंचायत)
2. प्रशंसा पत्र
3. यात्रा व्यय

जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित उत्कृष्ट ग्राम पंचायत के सरपंच को पुरस्कार राशि चैक या बैक ड्राफ्ट अथवा आर.टी.जी.एस.के माध्यम से ग्राम पंचायत को पुरस्कार हेतु चयनित होने के एक माह के भीतर कलेक्टर द्वारा संबंधित सरपंच को दी जावेगी। प्रशंसा पत्र गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में प्रदान किया जावेगा। नगद राशि पंचायत की निधि मानी जायगी। प्रशंसा पत्र में ग्राम पंचायत द्वारा उत्कृष्ट कार्यो का विवरण अंकित होगा।

4. आवेदन पत्रः—

योजना में नीहित लाभ प्राप्त करने के लिये गत वर्ष में किये गये कार्यो एवं उपलब्धियों के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत अपने आवेदन पत्र अपने जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगें। कलेक्टर प्राप्त आवेदन पत्रों का 01 माह में परीक्षण कराकर, चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेगें।

5. चयन समितिः—

उत्कृष्ट ग्राम पंचायत पुरस्कार चयन करने के लिये निम्नानुसार चयन समिति निर्धारित की जाती हैं—

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	जिला संयोजक/सहायक आयुक्त आ.जा.ज.क. विभाग	सदस्य
5	प्रतिष्ठित समाजसेवी	सदस्य
6	संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	सदस्य सचिव

6. पुरस्कार देने की प्रक्रियाः—

(1) पुरस्कार राशि एवं प्रशंसा पत्रः— प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष एक ग्राम पंचायत को नशामुक्ति की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करनें के लिये पुरस्कार हेतु चयनित किया जावेगा। पुरस्कार में एक लाख रूपये बैंक ड्राफ्ट अथवा आर.टी.जी.एस के माध्यम से चयनित ग्राम पंचायत के सरपंच को ग्राम पंचायत के बैक खाता में जमा कराया जाकर पुरस्कार दिया जावेगा। प्रशंसा पत्र गणतंत्र दिवस समारोह में दिया जावेगा। प्रशंसा पत्र में ग्राम पंचायत के उत्कृष्ट कार्यो का विवरण अंकित होगा।

(2) गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर जिला मुख्यालय में आने जानें के यात्रा व्यय की पूर्ति संबंधित सरपंच को कलेक्टर द्वारा की जावेगी।

7. चयन के मापदण्डः—

(1) ग्राम पंचायत की जनसंख्या का शत् प्रतिशत लोग नशा त्याग कर, नशामुक्त जीवन यापन कर रहे हो। इसमें ग्राम पंचायत के अधीन सभी गांव सम्मिलित हों।

(2) ऐसी नशामुक्त ग्राम पंचायत के संबंध में दैनिक समाचार पत्रों अथवा पत्रिकाओं में समाचार प्रकाशित किया गया हो।

(3) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के अधीन कार्यवाही की गयी हों।

(4) आदी व्यसनियों का उपचार कराने के लिये, नशामुक्ति सह पुर्नवास केन्दो में भर्ती कराकर इलाज कराया गया हों।

(5) पंचायत क्षेत्रान्तर्गत संचालित समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थी नशा सेवन के विरूद्व प्रेरित एवं संकल्पित हों।

8. बजट :—

पुरस्कार राशि का व्यय मॉग संख्या—53—त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, शीर्ष—2235— सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—{60}—अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कल्याण कार्यक्रम {196} जिला पंचायतों को सहायता, (2245) नशाबंदी कार्यक्रम सेगमेंट—9999 (आयोजनेत्तर) # 42 सहायक अनुदान, 007 अन्य (आयोजनेत्तर) मद में किया जावेगा।

राज्य शासन एतद् द्वारा जिलें की "नशामुक्त ग्राम पंचायत" को पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में उक्तानुसार नियम प्रभावशील करता हैं ।

इन नियमों में किसी भी तरह का परिवर्तन करने के लिये राज्य शासन सक्षम रहेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.